

महगाई राहत केम्प

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023

रिपोर्ट पटवारी हल्का .. चंगेडी ... तहसील .. मावली ..

प्रार्थनापत्र में अंकित खाता सं०, आराजी नम्बर एवं रकबा सही है। खाते में प्रार्थी खातेदार का नाम .. सोहनबाई .. पिता पति. लालकिंद दर्ज है।

खाते की नकल सलंगन है।

प्रार्थी का नाम दुरस्त कर .. सोहनबाई .. पिता पति. लालकिंद .. किया जाना उचित होगा।
की जगह सोहनबाई उर्फ. भंवरकुमार ..

इ. इ. प्र. फ. ल. ०६-०६-२०२३
उक्त खाते में खातेदार का नाम .. सोहनबाई .. पिता पति. लालकिंद ..
के बजाय सोहनबाई उर्फ. भंवरकुमार .. अंकित करने की सिफारिश की जाती है।

तहसीलदार / मावली तहसीलदार (पूजा) मावली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी .. मावली ..

आदेश अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

क्रमांक : राजस्व / अभिलेख / 2008 / 2023 / 545 दिनांक : 29 / 08 / 2023

प्रार्थनापत्र में अंकित खाते के खातेदार का नाम दुरस्त कर .. सोहनबाई ..
पति. लालकिंद .. के स्थान पर श्री सोहनबाई उर्फ. भंवरकुमार ..
पति. लालकिंद .. दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार
आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही कर पालना प्रस्तुत करें।



खाता सं. 750
मौजा चंगेडी प. चंगेडी

उपखण्ड अधिकारी / पटवारी अधिकारी
मावली, जिला उदयपुर

1. तहसीलदार / चायब तहसीलदार .. सुभाष .. को पालनार्थ।
2. प्रार्थी श्री .. स. व. सु. व. के. सु. व. के. ..
3. रक्षित पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी / पटवारी अधिकारी
मावली, जिला उदयपुर